No.36-01/2020-Pen(T)
Government of India
Ministry of Communications
Department of Telecommunications
(Pension Section)

516-Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road,
New Delhi-110001, dated the 19th March, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Gazette Notification No. G.S.R. 673(E) dated 09.09.2019 issued by DOP&PW regarding amendment in Rule-54 of CCS (Pension) Rules 1972.

The undersigned is directed to circulate Gazette Notification No. G.S.R. 673(E) dated 09.09.2019 issued by Department of Pension and Pensioners' Welfare on the above mentioned subject for implementation and necessary action.

Encl: As above.

(Asha Wadhwani)
Under Secretary to the Govt. of India

To

1. All the Pr. CCAs/ CCAs
2. Sr. DDG(TEC), Khurshid Lal Bhawan, Janpath, New Delhi.
3. DDG(Accounts), DoT, Hqrs, New Delhi.
4. Director (Accounts. I) & Director (Accounts. II), DOT, Hqrs, New Delhi.
5. ADG, office of Director(Staff), DoT(HQ), Sanchar Bhawan, New Delhi for uploading the same on DoT website

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2019/भाद्र 29, 1941
No. 550]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019/BHADRA 29, 1941

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 673(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक तथा अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में,-

(i) नियम 54 में,

(क) उप-नियम (3) में, –

(क) खंड (क) में, उप-खंड (i) में "सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्" वाक्यांश का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) खंड (ख) में, उप-खंड (i) में "सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्" वाक्यांश का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"(3क) जहां किसी सरकारी सेवक की मृत्यु सात वर्षों की लगातार सेवा पूरी किए बगैर 1 अक्टूबर, 2019 से पूर्व दस वर्षों के भीतर हो गई हो, वहां उनका परिवार कुटुंब पेंशन की स्वीकृति की अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 से उप-नियम (3) के अनुसार बढ़ी हुई दर पर कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होगा।"

(ii) नियम 79 में, खंड (क) और (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(क) कुटुंब पेंशन 1964, के प्रयोजनार्थ, यदि मृतक सरकारी सेवक का परिवार नियम 54 के उप-नियम (2) के अनुसार कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो गया हो तो कुटुंब पेंशन की राशि और उस अवधि जिसके लिए यह देय है, का निर्धारण सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख की सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर नियम 54 के उप-नियम (3) के अनुसार किया जाएगा।

(ख) मृत्यु उपदान के प्रयोजनार्थ,–

(i) यदि मृतक सरकारी सेवक द्वारा प्रदत्त समस्त सेवा सत्यापित और स्वीकृत किए जाने के लायक नहीं होगी तो मृत्यु उपदान की राशि का निर्धारण अर्हक सेवा की अवधि जिसे सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से ठीक पूर्व सत्यापित और स्वीकृत किया जाता है, के आधार पर नियम 50 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसार अस्थायी रूप से किया जाएगा और मृत्यु उपदान की इस प्रकार निर्धारित राशि का प्राधिकार लाभार्थियों को सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख की सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर दिया जाएगा।

(ii) मृत्यु उपदान की अंतिम राशि का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनंतिम मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर उनके द्वारा सेवा की समस्त अवधि की स्वीकृति और सत्यापन किए जाने पर किया जाएगा और मृत्यु उपदान की अंतिम राशि के निर्धारण के परिणामस्वरूप देय होने वाली बकाया राशि, यदि कोई हो, के लिए लाभार्थियों को तत्पश्चात् प्राधिकृत कर दिया जाएगा।"

(iii) प्ररूप 18 के लिए, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप **18**

[नियम 78(1), 80(1), 80(3), 80 (5), 80-ख (1) और 80-ख (5) देखें]

जब किसी सरकारी सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान का निर्धारण और प्राधिकार

भाग-I

खण्ड I

1. मृतक का ब्यौरा:

(क) नाम			
(ख) माता/पिता का नाम		(ग) जन्म तिथि	D D M M Y Y Y Y
(घ) मृत्यु की तारीख	D D M M Y Y Y Y	(ङ.) धर्म	

2. मृत्यु के समय धारित पद:

(क) कार्यालय का नाम			
(ख) मूल रूप से धारित पद		(ग) स्थानापन्न पद	
(घ) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर		(ङ.) मूल वेतन	

(च) यदि अंतिम पद सरकार के बाहर बाह्य सेवा शर्तों पर धारित किया गया था-				
(छ) मूल विभाग में धारित पद का वेतन स्तर			(ज) मूल वेतन	
(झ) सैन्य सेवा की कुल अवधि, यदि कोई हो, जिसके लिए पेंशन और/या उपदान की संस्वीकृति की गई थी				
(ञ) सैन्य सेवा के लिए प्राप्त कोई पेंशन/उपदान राशि		(ट) सैन्य सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की प्रकृति		
3. सेवा की शुरूआत की तारीख	DD-MM-Y	**4. सेवा की समाप्ति की तारीख**	DD-MM-Y	

5. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में सेवा, यदि कोई हो,

सेवा का ब्यौरा:

(क) संगठन का नाम	(ख) धारित पद	(ग) सेवा की अवधि		
		से	तक	कुल अवधि
(घ) क्या उपयुक्त सेवा की सरकार में उपदान के लिए गणना की जानी है			o हां	o नहीं
(ङ.) क्या स्वायत्त संगठन ने केंद्र सरकार के प्रति अपनी पेंशन देयता का निर्वहन किया है			o हां	o नहीं
(च) पिछली सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की राशि, यदि कोई हो		(छ) पिछली सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की प्रकृति, यदि कोई हो		

6. मृत्यु उपदान के लिए अर्हक सेवा:

(क) सेवा पुस्तिका में चूक, अपूर्णता या कमियों का विवरण जिन्हें नजरअंदाज किया गया है [नियम 59 (1)(ख)(ii) के तहत]			
(ख) गैर-अर्हक सेवा की अवधि:	से	तक	दिनों की संख्या
नियम 27 और 28 के तहत माफ सेवा में व्यवधान			
असाधारण अवकाश जो उपदान के लिए अर्हक नहीं है			
गैर-अर्हक के रूप में मानी गई निलंबन की अवधि			
बॉय सर्विस (नियम 13 का दूसरा परंतुक)			
संयुक्त राष्ट्र संघ के निकायों के साथ बाह्य सेवा की अवधि जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र के पेंशन का लाभ उठाया गया है (नियम 31)			
कोई अन्य सेवा जिसे अर्हक सेवा के रूप में नहीं माना जाता है			
गैर-अर्हक सेवा की कुल अवधि			
(ग) अर्हक सेवा में वृद्धि:	से	तक	दिनों की संख्या
सिविल सेवा (नियम 18)			
सैन्य सेवा (नियम 19)			
किसी स्वायत्त निकाय में सेवा का लाभ			
अर्हक सेवा की कुल अवधि			
(घ) निवल अर्हक सेवा			

(ड.) संपन्न छह मासिक अवधियों के अनुसार अभिव्यक्त अर्हक सेवा (तीन माह और उससे अधिक की अवधि को संपन्न छह मासिक अवधि के रूप में माना जाना है (नियम 49)			
7. मृत्यु उपदान के लिए संगणना की गई परिलब्धियां		**8. मृत्यु उपदान की राशि**	
9. मृत्यु उपदान से वसूली योग्य सरकारी देय राशि का विवरण:			
(क) सरकारी आवास के अधिग्रहण के लिए लाइसेंस शुल्क [नियम 80-ग देखें]			
(ख) संपदा निदेशालय द्वारा यथानिर्दिष्ट रोकी जाने वाली धनराशि [नियम 80-ग (i) (v) देखें]			
(ग) नियम 80-ग (2) में उल्लिखित देय राशि			
(घ) मृत्यु उपदान के रूप में संदेय निवल राशि			

10. नामित व्यक्ति (व्यक्तियों), जिसे मृत्यु उपदान संदेय है, का विवरण:

क्र. सं	(क) नाम	(ख) जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)	(ग) मृत्यु उपदान में हिस्सा	(घ) मृतक सरकारी सेवक से संबंध	(ड.) पता
1.					
2.					
3.					

11. अभिभावक/नामित व्यक्ति जो अल्पवयस्क/मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के होने की स्थिति में मृत्यु उपदान का भुगतान प्राप्त करेंगे, का ब्योरा

क्र. सं	(क) अल्पवयस्क/मानसिक रूप से अक्षम बच्चे का नाम	(ख) अभिभावक का नाम	(ग) मृतक सरकारी सेवक से संबंध	(घ) अभिभावक का पता
1.				
2.				
3.				

12. कुटुंब पेंशन के भुगतान का ब्यौरा

कुटुंब पेंशन की दर	कुटुंब पेंशन की राशि	वह अवधि जिसके लिए यह संदेय है		
		से	तक	कुल अवधि
(क) बढ़ी हुई दर [नियम 54(3)]				
(ख) साधारण दर [नियम 54(2)]				
(ग) नियम 54 (2क) के अतंर्गत पुराने परिवार पेंशनभोगी, यदि कोई हो, को आज की तारीख के अनुसार अतिरिक्त कुटुंब पेंशन				

13. व्यक्ति जिन्हें कुटुंब पेंशन संदेय है

(क) नाम		(ख) मृतक सरकारी सेवक से संबंध	
(ग) डाक पता			
फ्लैट/हाउस नं/भवन का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम और डाकघर/ब्लॉक		नगर और जिला	
राज्य		पिन कोड	
टेलीफोन नं./मोबाइल		ईमेल-आई डी	

14. अभिभावक जो अल्पवयस्क/मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के होने की स्थिति में कुटुंब पेंशन का भुगतान प्राप्त करेंगे, का ब्योरा

क्र. सं	(क) अल्पवयस्क/मानसिक रूप से अक्षम बच्चे का नाम	(ख) अभिभावक का नाम	(ग) मृतक सरकारी सेवक से संबंध	(घ) अभिभावक का पता
1.				
2.				
3.				

लेखा शीर्ष जिसमें उपदान और कुटुंब पेंशन विकलनीय है।

स्थान:

दिनांक: DD-MM-YYYY

(कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

भाग II

कार्यालय अध्यक्ष द्वारा नियम 80क के अनुसार आहरित एवं संवितरित किए जाने वाले अनंतिम कुटुंब पेंशन और उपदान का ब्यौरा

अनंतिम कुटुंब पेंशन	रू...प्रतिमाह
मृत्यु उपदान [खण्ड I की मद 9 (घ) में उल्लिखित राशि]	रू...

स्थान:	
दिनांक: DD-MM-YYYY	(कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

भाग II

लेखा मुखांकन

खण्ड I

मृत्यु उपदान के लिए स्वीकृत अर्हक सेवा की कुल अवधि									
कुटुंब पेंशन के लिए स्वीकृत निरंतर सेवा की कुल अवधि									
सरकारी बकायों का समयोजन करने के बाद मृत्यु उपदान की निवल राशि									
कुटुंब पेंशन की राशि (जो भी लागू हो)									
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत कुटुंब पेंशन									**कुटुंब पेंशन की राशि**
बढ़ी हुई दर पर [नियम 54(3)]									
साधारण दर पर [नियम 54(2)]									
नियम 54 (2-क) के अतंर्गत पुराने परिवार पेंशनभोगी, यदि कोई हो, को आज की तारीख के अनुसार अतिरिक्त कुटुंब पेंशन									
वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन स्वीकार्य है	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	
लेखा शीर्ष जिसमें मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन विकलनीय है									

खण्ड II

मृतक सरकारी सेवक का ब्यौरा			
नाम		मृत्यु की तारीख	D D M M Y Y Y Y
प्राधिकृत कुटुंब पेंशन की राशि		प्राधिकृत उपदान की राशि	
कुटुंब पेंशन शुरू होने की तारीख	D D M M Y Y Y Y	उपदान में वसूलीयोग्य राशि	
'बेबाकी प्रमाण-पत्र' प्राप्त होने तक रोकी गई उपदान राशि			

स्थान:	
दिनांक: DD-MM-YYYY	(लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

[फा. सं. 1/23/2018-पी एंड पी डब्ल्यू (ई)]

संजीव नारायण माथुर, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

नियम 54 के उप-नियम (3क) में अन्य बातों के साथ-साथ किसी ऐसे सरकारी सेवक के परिवार को कुटुंब पेंशन के भुगतान का प्रावधान है जिनकी मृत्यु सात वर्षों की लगातार सेवा पूरी किए बगैर 1 अक्टूबर, 2019 से पूर्व 10 वर्षों के भीतर हुई। प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिए जाने से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

टिप्पण : मूल नियम दिनांक 1 अप्रैल, 1972 की अधिसूचना संख्या का.आ.934 के तहत भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे। जुलाई, 1988 तक संशोधित नियमों का चौथा संस्करण वर्ष 1988 में प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात् उक्त नियमों को निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था, अर्थात्:—

1. का.आ. 254, तारीख 4 फरवरी, 1989;
2. का.आ. 970, तारीख 6 मई, 1989;
3. का.आ. 2467, तारीख 7 अक्तूबर, 1989;
4. का.आ. 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990;
5. का.आ. 1454, तारीख 26 मई, 1990;
6. का.आ. 2329, तारीख 8 सितम्बर, 1990;
7. का.आ. 3269, तारीख 8 दिसम्बर, 1990;
8. का.आ. 3270, तारीख 8 दिसम्बर, 1990;
9. का.आ. 3273, तारीख 8 दिसम्बर, 1990;
10. का.आ. 409, तारीख 9 फरवरी, 1991;
11. का.आ. 464, तारीख 16 फरवरी, 1991;
12. का.आ. 2287, तारीख 7 सितम्बर, 1991;
13. का.आ. 2740, तारीख 2 नवम्बर, 1991;
14. सा.का.नि. 677, तारीख 7 दिसम्बर, 1991;
15. सा.का.नि. 39, तारीख 1 फरवरी, 1992;
16. सा.का.नि. 55, तारीख 15 फरवरी, 1992;
17. सा.का.नि. 570, तारीख 19 दिसम्बर, 1992;
18. का.आ. 258, तारीख 13 फरवरी, 1993;
19. का.आ. 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993;
20. सा.का.नि. 449, तारीख 11 सितम्बर, 1993;
21. का.आ. 1984, तारीख 25 सितम्बर, 1993;
22. सा.का.नि. 389(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1994;
23. का.आ. 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997;
24. का.आ. 259, तारीख 30 जनवरी, 1999;
25. का.आ. 904, तारीख 30 सितम्बर, 2000;
26. का.आ. 717(अ), तारीख 27 जुलाई, 2001;
27. सा.का.नि. 75(अ), तारीख 1 फरवरी, 2001;

28. का.आ. 4000, तारीख 28 दिसम्बर, 2002;
29. का.आ. 860(अ), तारीख 28 जुलाई, 2003;
30. का.आ. 1483(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2003;
31. का.आ. 1487(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2005;
32. सा.का.नि. 723(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2006;
33. का.आ. 1821(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2007;
34. सा.का.नि. 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2008;
35. का.आ. 1028(अ), तारीख 25 अप्रैल, 2008;
36. का.आ. 829(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010;
37. सा.का.नि. 176, तारीख 11 जून, 2011;
38. सा.का.नि. 928(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2012;
39. सा.का.नि. 938(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2012;
40. सा.का.नि. 103(अ), तारीख 21 फरवरी, 2014;
41. सा.का.नि. 138(अ), तारीख 3 मार्च, 2014;
42. सा.का.नि. 233(अ), तारीख 28 मार्च, 2014;
43. सा.का.नि. 628(अ), तारीख 1 सितम्बर, 2014;
44. सा.का.नि. 232(अ), तारीख 30 मार्च, 2015;
45. सा.का.नि. 962(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2016 और
46. सा.का.नि. 12(अ), तारीख 4 जनवरी, 2016।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2019

G.S.R. 673(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Second Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force from 1st day of October, 2019

2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972,-

(i) in rule 54,

(a) in sub-rule (3), –

(A) in clause (a), in sub–clause (i), the words "after having rendered not less than seven years' continuous service" shall be omitted;

(B) in clause (b), in sub-clause (i), the words "after having rendered not less than seven years' continuous service" shall be omitted;

(b) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: –

"(3A) Where of a Government servant who died within ten years before the 1st day of October, 2019, without completing, continuous service of seven years, his family shall be eligible for family pension at enhanced rates in accordance with sub-rule (3) with effect from the 1st day of October, 2019, subject to fulfilment of other conditions for grant of family pension.";

(ii) in rule 79, for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) For the purpose of Family Pension, 1964, if the family of the deceased Government servant has become eligible for family pension in accordance with sub-rule (2) of rule 54, the amount of family pension and the period for which it is payable shall be determined in accordance with sub-rule (3) of rule 54 within one month from the date of receipt of intimation of the date of death of the Government servant.

(b) For the purpose of death gratuity ,–

(i) If the entire service rendered by the deceased Government servant is not capable of being verified and accepted, the amount of death gratuity shall be provisionally determined in accordance with clause (b) of sub-rule (1) of rule 50 on the basis of the length of qualifying service which is verified and accepted immediately preceding the date of death of the Government servant and the amount of death gratuity, so determined shall be authorised to the beneficiaries on provisional basis within one month from the date of receipt of intimation of date of death of the Government servant.

(ii) The final amount of the death gratuity shall be determined by the Head of Office on the acceptance and verification of the entire spell of service by him within a period of six months from the date on which the authority for the payment of provisional death gratuity was issued and the balance, if any, becoming payable as a result of determination of the final amount of death gratuity shall then be authorised to the beneficiaries.";

(iii) for Form 18, the following Form shall be substituted, namely:-

"Form 18

[See rules 78(1), 80(1), 80(3), 80 (5), 80-B (1) and 80-B (5)]

Assessment and authorisation of payment of family pension and death gratuity when a Government servant dies while in service

Part-I

Section I

1. Details of deceased:

(a) Name									
(b) Mother's /Father's name		(c) Date of birth	D	D	M	M	Y	Y	Y	y
(d) Date of death	D D M M Y Y Y Y	(e) Religion							

2. Post held at the time of death:

(a) Name of the office			
(b) Post held substantively		(c) Officiating post	
(d) Level of pay in the pay matrix		(e) Basic pay	
(f) In case the last post was held outside the Government on foreign service terms-			
(i) Level of pay of the post held in the parent department		(ii) Basic pay	

(i) Total period of military service, if any, for which pension and/or gratuity was sanctioned			
(j) Amount of any pension/gratuity received for the military service		(k) Nature of any pension/gratuity received for the military service	
3. Date of beginning of service	DD-MM-Y	**4. Date of ending of service**	DD-MM-Y

5. Service in autonomous body/State Government, if any

particulars of service:

(a) Name of organisation	(b) Post held	(c) Period of service		
		From	To	Total period

(d) Whether the above service is to be counted for gratuity in the Government	☐ Yes ☒ No
(e) Whether the autonomous organisation has discharged its pensionary liability to the Central Government	☐ Yes ☐ No

(f) Amount of any pension/gratuity received for the previous civil service, if any		(g) Nature of any pension/gratuity received for the previous civil service, if any	

6. Service qualifying for death gratuity:

(a) Details of omission, imperfection or deficiencies in the service book which have been ignored [under rule 59 (1)(b)(ii)]			
(b) Periods of non-qualifying service:	From	To	No. of Days
Interruption in service condoned under rules 27 and 28			
Extraordinary leave not qualifying for gratuity			
Period of suspension treated as non-qualifying			
Boy service (2nd proviso to Rule 13)			
Periods of foreign service with United Nations bodies for which United Nations pension has been availed (rule 31)			
Any other service not treated as qualifying service			
Total period of non-qualifying service			
(c) Additions to qualifying service:	From	To	Number of days
Civil service (rule18)			
Military service (rule 19)			
Benefit of service in an autonomous body			
Total period of qualifying service			
(d) Net qualifying service			
(e) Qualifying service expressed in terms of completed six monthly periods (Period of three months & above is to be treated as completed six monthly period (rule 49)			

7. Emoluments reckoned for death gratuity		**8. Amount of death gratuity**	

9. Details of Government dues recoverable out of death gratuity:	
(a) Licence fee for occupation of Government accommodation [See rule 80-C]	
(b) Amount to be withheld as indicated by the Directorate of Estates [See rule 80-C (i) (v)].	
(c) Dues referred to in rule 80-C (2)	
(d) Net amount payable as death gratuity	

10. Details of the nominee(s) to whom death gratuity is payable:

S.No.	(a) Name	(b) Date of birth (DD/MM/YYYY)	(c) Share in death gratuity	(d) Relationship with deceased Govt. servant	(e) Address
1.					
2.					
3.					

11. Details of guardian/nominee who will receive payment of death gratuity in the case of minor/mentally disabled children

S.N.	(a) Name of minor/mentally disabled child	(b) Name of guardian	(c) Relationship with deceased Govt. servant	(d) Address of guardian
1.				
2.				
3.				

12. Details of payment of family pension

Rate of family pension	Amount of family pension	Period for which it is payable		
		From	To	Total period
(a) Enhanced rate [rule 54(3)]				
(b) Ordinary rate [rule 54(2)]				
(c) Additional family pension, as on date, to old family pensioner, if any, under rule 54(2A)				

13. Persons to whom family pension is payable

(a) Name		(b) Relationship with the deceased Government servant	
(c) Postal address			
Flat/House Number/Building Name		Street/Locality	
Village and Post Office/Block		City and District	
State		Pin Code	
Telephone No./Mobile		Email-Id	

14. Details of guardian who will receive payment of family pension in the case of minor/ mentally disabled children

S.No.	(a) Name of minor/mentally disabled child	(b) Name of guardian	(c) Relationship with deceased Govt. servant	(d) Address of guardian
1.				
2.				
3.				

Head of Account to which death gratuity and family pension are debitable.

Place:

Date: DD-MM-YYYY

(Signature of Head of Office)

Section II

Details of provisional family pension and gratuity to be drawn and disbursed by the Head of Office in accordance with rule 80A

Provisional family pension	Rs...pm
Death gratuity [amount mentioned in item 9 (d) of Section I]	Rs...

Place:

Date: DD-MM-YYYY

(Signature of Head of Office)

PART II

Account Enfacement

Section I

Total period of qualifying service accepted for Death gratuity	
Total period of continuous service accepted for family pension	

Net amount of death gratuity after adjusting Government dues		
Amount of family pension (whichever is applicable)		
Family Pension under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972		**Amount of family pension**
At enhanced rate [rule 54 (3)]		
At ordinary rate [rule 54 (2)]		
Additional family pension, as on date, to old family pensioner, if any, under rule 54(2-A)		
Date from which family pension is admissible	D D M M Y Y Y Y	
Head of account to which death gratuity and family pension are debitable		

Section II

Details of deceased Government servant			
Name		Date of death	D D M M Y Y Y Y
Amount of family pension authorised		Amount of gratuity authorised	
Date of commencement of family pension	D D M M Y Y Y Y	Amount recoverable from gratuity	
Amount of gratuity withheld pending receipt of 'No Demand Certificate'			

Place:

Date: DD-MM-YYYY

(Signature of Account Officer).''.

[F. No. 1/23/2018-P&PW(E)]

SANJIV NARAIN MATHUR, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

Sub-rule (3A) of rule 54, *inter alia*, provide for payment of family pension to the family of a Government servant who died within ten years before the 1st day of October, 2019 without completing continuous service of seven years. It is certified that none will be adversely affected by giving retrospective effect to the amendment.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 934, dated the 1st April, 1972. The fourth edition of the rules corrected up to July, 1988 was published in the year of 1988. The said rules were subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

1. S.O.254, dated the 4th February, 1989;
2. S.O.970, dated the 6th May, 1989;
3. S.O.2467, dated the 7th October, 1989;
4. S.O.899, dated the 14th April, 1990;
5. S.O.1454, dated the 26th May, 1990;
6. S.O.2329, dated the 8th September, 1990;
7. S.O.3269, dated the 8th December, 1990;
8. S.O.3270, dated the 8th December, 1990;

9. S.O.3273, dated the 8th December, 1990;
10. S.O.409, dated the 9th February, 1991;
11. S.O.464, dated the 16th February, 1991;
12. S.O.2287, dated the 7th September, 1991;
13. S.O.2740, dated the 2nd November, 1991;
14. G.S.R.677, dated the 7th December, 1991;
15. G.S.R.39, dated the 1st February, 1992;
16. G.S.R.55, dated the 15th February, 1992;
17. G.S.R.570, dated the 19th December, 1992;
18. S.O.258, dated the 13th February, 1993;
19. S.O.1673, dated the 7th August, 1993;
20. G.S.R.449, dated the 11th September, 1993;
21. S.O.1984, dated the 25th September, 1993;
22. G.S.R.389(E), dated the 18th April, 1994;
23. S.O.1775, dated the 19th July, 1997;
24. S.O.259, dated the 30th January, 1999;
25. S.O.904 (E), dated the 30th September, 2000;
26. S.O.717 (E), dated the 27th July, 2001;
27. G.S.R.75 (E), dated the 1st February, 2002;
28. S.O.4000 dated the 28th December, 2002;
29. S.O.860 (E), dated the 28th July, 2003;
30. S.O.1483 (E), dated the 30th December, 2003;
31. S.O.1487 (E), dated the 14th October, 2005;
32. G.S.R.723(E), dated the 23rd November, 2006;
33. S.O.1821 (E), dated the 25th October, 2007;
34. G.S.R.258 (E), dated the 31st March, 2008;
35. S.O.1028 (E), dated the 25th April, 2008;
36. S.O.829 (E), dated the 12th April, 2010;
37. G.S.R.176, dated the 11th June, 2011;
38. G.S.R.928 (E), dated the 26th December, 2012;
39. G.S.R.938 (E), dated the 27th December, 2012;
40. G.S.R.103 (E), dated the 21st February, 2014;
41. G.S.R.138 (E), dated the 3rd March, 2014;
42. G.S.R.233 (E), dated the 28th March, 2014;
43. G.S.R.628 (E), dated the 1st September, 2014;
44. G.S.R.232 (E), dated the 30th March, 2015;
45. G.S.R.962 (E), dated the 30th September, 2016; and
46. G.S.R.12 (E), dated the 4th January, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.09.23 13:01:09 +05'30'